

## फार्म - छत्तीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-51(1) देखें]  
**ब्याज भुगतान आदेश**

व्यापारी / व्यक्ति का नाम जिसको ब्याज देय है																																				
टिन, यदि कोई हो																									प्रभावी तिथि				d	d	m	m	y	y	y	y
व्यापारी द्वारा रिफण्ड के उद्देश्य से सूचित बैंक का नाम																																				
बैंक एकाउण्ट नंबर																																				

उपरोक्त व्यापारी या व्यक्ति को रिफण्ड देने में विलंब हुआ है। नियम-50(3) के परन्तुक के अनुसार वर्णित अधोलिखित तिथि से ब्याज देय है, जो भी लागू हो:

- (1) करनिर्धारण अधिकारी द्वारा रिफण्ड आदेश पारित करने की तिथि -----
- (2) करनिर्धारण अधिकारी के कार्यालय में मा0 न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश के प्राप्ति की तिथि जिसके द्वारा रिफण्ड देय हो -----
- (3) टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित तिथि या टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तिथि, जो भी बाद में हो, जहां रिफण्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि से संबंधित हो और ऐसी धनराशि का रिफण्ड अनुमन्य हो -----

इस बात का समाधान हो जाता है कि रू0 ----- (शब्दों में) का रिफण्ड व्यापारी / व्यक्ति को दिनांक----- (जैसा कि क्लॉज (1) या (2) या (3) में वर्णित है) को अनुमन्य था, किन्तु व्यापारी अथवा व्यक्ति को उक्त दिनांक----- (रिफण्ड देने की वास्तविक तिथि) को दिया गया।

रिफण्ड की धनराशि	रिफण्ड देय होने की तिथि	रिफण्ड देने की वास्तविक तिथि	विलंब की अवधि (3-2)	देय ब्याज
1	2	3	4	5

अतः, एतद्द्वारा, रू0 ----- (शब्दों में) के ब्याज का भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तिथि -  
मुहर -

करनिर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर  
करनिर्धारण अधिकारी का नाम व पदनाम

पत्र संख्या. ....

तिथि-----

सर्वश्री ..... के लिए इस ब्याज भुगतान आदेश की दो प्रतियां डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन), जिला..... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ऑर्डर में उल्लिखित व्यक्ति, जिसका विवरण व बैंक एकाउण्ट नंबर ऑर्डर में दिये गये हैं, के पक्ष में आवश्यक बिल बनवाकर ट्रेजरी ऑफिसर को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

तिथि -  
मुहर -

करनिर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर  
करनिर्धारण अधिकारी का नाम व पदनाम